बेबसी...बेचारगी और दरिंदगी

सैफनी की बिटिया के शरीर पर जगह-जगह मौजूद जख्म कह रहे मनमानी की कहानी, मुरादाबाद से भी रेफर, अब मेरठ मेडिकल कॉलेज में है भर्ती

संवाद न्यूज एजेंसी

सैफनी (रामपुर)। उसकी बेबसी यह है कि वह बोल नहीं सकती, मानसिक कमजोरी की वजह से वह ठीक से समझ भी नहीं पाती। इन जन्मजात समस्याओं की वजह से सैफनी क्षेत्र के एक गांव की यह बिटिया अक्सर बेचारी कहलाती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी इस बेचारगी को गांव का ही एक युवक मनमानी का जरिया बना लेगा। उसकी अस्मत तार-तार करने के साथ शरीर को गहरे जख्मों से भर देगा।

मंगलवार रात अपने घर से बाहर से गायब की गई बिटिया बुधवार सुबह खेत में जिस हालत में मिली, उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नाजुक अंगों से बहते खून और माथे पर चोट के निशान से अनहोनी पूरे गांव ने महसूस कर ली। जिसपर मुहर लगा दी सरकारी अस्पताल की महिला चिकित्सक ने। चिकित्सक ने वहशी तरीके से दुष्कर्म किए जाने की जानकारी के साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर मौजूद जख्म भी गिनाए।

बताया कि शरीर पर कई जगह दांतों के निशान, नोचने-काटने जैसी घिनौनी हरकत के अलावा सिगरेट से दागने की मनमानी भी की गई है। ज्यादा सूजन के कारण बाईं आंख अब तक नहीं खुल रही है। शरीर पर कई जगह स्याह निशान हैं।

बिटिया की गंभीर हालत का अहसास सैफनी से रामपुर, फिर मुरादाबाद और फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किए जाने से भी हो रहा है। तीमारदारी में साथ मौजूद बिटिया के ताऊ ने मेरठ से फोन पर बताया कि उसे अब तक होश नहीं आया है। चिकित्सकों ने उपचार में कम से कम तीन माह का समय लगने का अनुमान जताया है। जगह-जगह गंभीर चोट होने से अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन किया जा चुका है। नाजुक अंगों की सर्जरी करने की भी तैयारी है।

ग्रामीणों ने बताया कि बिटिया का पिता भी पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ नहीं है। फिर भी अपने पास मौजूद थोड़ी सी जमीन पर खेती और दूसरी जगह मजदूरी करता है। घर चलाने के लिए मेहनत उस शख्स की मजबूरी है।

ग्रामीणों ने बताया कि मुठभेड़ में दबोचा गया दुष्कर्म का आरोपी दान सिंह गांव का ही है। दिल्ली में किसी हलवाई के यहां काम करता है। करीब 25 वर्षीय आरोपी वारदात वाले दिन ही दिल्ली से गांव आया था। अनुमान जताया जा रहा है कि गांव का ही होने के कारण बिटिया उसे जानती थी। मानसिक समस्याओं के कारण यह नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। शायद यही वजह रही होगी कि आरोपी उसे बरगलाकर सुनसान खेत में ले जाने में कामयाब हो गया।



सैफनी के गांव में जांच के लिए पहुंचे डीआईजी मुनिराज जी। स्रोत : पुलिस

आरोपी का पिता बोला, बेटे से कोई वास्ता नहीं

ग्रामीणों ने बताया कि दुष्कर्म का आरोपी दान सिंह दो साल पहले चोरी करने दो घरों में घुसा था। लोगों ने पकड़ लिया था। नशे में होना मानकर हड़काया था और छोड़ दिया था। अब इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात सामने आने पर दान सिंह के पिता ने कह दिया कि उनका अपने बेटे से कोई वास्ता नहीं। उसे कानून से सजा मिलनी चाहिए।

अब भी बेहोश, डॉक्टर बोले- इलाज में लगेंगे तीन माह

मेरठ में बिटिया का इलाज करा रहे परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि इलाज लंबा चलेगा। बिटिया की सर्जरी भी करनी पड़ेगी। पूरे इलाज में तीन माह से कम का वक्त नहीं लगेगा।

कैमरे में दिखी बिटिया को ले जाते वक्त की झलक

एएसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद दबोचे गए दान सिंह ने दुष्कर्म की घटना स्वीकारी है। घटना से कुछ समय पहले वह गांव मेंशराब के ठेके पर था। ठेके के पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में लह बिटिया को बरगलाकर ले जाता नजर आया है।

डीआईजी ने जाने हालात

सबको हिला देने वाली सैफनी क्षेत्र में दुष्कर्म की वारदात ने गांव में अफसरों की सक्रियता बढ़ा दी है। डीआईजी मुनिराज ने गांव का दौरा किया। परिजनों व ग्रामीणों से कई बिंदुओं पर बात की। एसपी विद्यासागर मिश्र, एएसपी अतुल श्रीवास्तव ने गांव में फोर्स तैनात कर दी है। लखनऊ से आला अफसर भी मामले की जानकारी ले रहे हैं।

सीओ कर रहीं जांच, एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाईं

एएसपी ने बताया कि सैफनी क्षेत्र के गांव में हुई इस घटना की विवेचना शाहबाद की सीओ हर्षिता सिंह कर रही हैं। एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। विवेचना में और भी धाराएं बढ़ सकती हैं। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी के समय आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा और दो कारतूस मिले थे।

यह सिलसिला कब खत्म होगा : प्रियंका

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा है कि रामपुर में दलित समाज की बालिका के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। बच्ची मानसिक रूप से कमजोर है, न बोल सकती है, न सुन सकती है। उसके पूरे शरीर को क्षत-विक्षत कर दिया गया। ऐसे घिनौने अपराध पूरी मानवता को शर्मसार करते हैं। यूपी के कासगंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप में आठ लोग गिरफ्तार किए गए।

पूर्व सांसद गिरीश चंद्र की बसपा में वापसी

अमर उजाला ब्यूरो

मुरादाबाद। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद गिरीश चंद्र की बृहस्पतिवार को बसपा में वापसी हो गई। साथ ही उन्हें मंडल के दो जिलों का प्रभार भी दिया गया है। चार माह पहले बसपा सुप्रीमो ने पूर्व सांसद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि, पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए मायावती ने उन्हें दोबारा मौका दिया।

नगीना लोकसभा सीट से पूर्व सांसद गिरीश चंद्र को पार्टी प्रमुख ने नवंबर 2024 में पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने किसी अन्य दल



पूर्व सांसद गिरीश चंद्र।

का दामन नहीं थामा। पूर्व सांसद के करीबी बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील आजाद ने बताया कि गिरीश चंद्र छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं। दो बार निर्विरोध कोऑपरेटिव के डायरेक्टर चुने गए। 1995 में नगर निगम के पार्षद बने। 2000 से 2006 पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे।

मंडल के दो जिलों का मिला प्रभार, काम आई पार्टी के प्रति निष्ठा

पार्टी के प्रति निष्ठा के कारण वह मायावती के विश्वासपात्र बन गए। उनको मुरादाबाद मंडल के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई। 2007 में चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने टिकट दिया और चुनाव जीतकर विधायक बने। बसपा ने 2019 में नगीना लोकसभा सीट से टिकट दिया और गिरीश चंद्र सांसद बने। बसपा ने उन्हें लोकसभा में नेता सदन भी बनाया।

हालांकि, नवंबर में बसपा सुप्रीमो ने गिरीश चंद्र को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन पूर्व सांसद जगह-जगह हुए कार्यक्रमों में पार्टी और मायावती के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते रहे। साथ ही वह किसी अन्य दल में भी शामिल नहीं हुए। इसके बाद बसपा प्रमुख ने गिरीश चंद्र को लखनऊ बुलाकर पार्टी में शामिल किया और मंडल के दो जिलों के मुख्य सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी।

बसपा जिलाध्यक्ष निर्मल सागर ने बताया कि पूर्व सांसद मुरादाबाद मंडल के बिजनौर और अमरोहा में बतौर मुख्य सेक्टर प्रभारी कार्य करेंगे। उनके साथ ही बिजनौर जिले के कीरतपुर निवासी धनीराम वर्मा को भी लगाया गया है।

जालंधर पुलिस ने सैदुल अमीन की मां के बैंक खाते के लेनदेन का ब्योरा जांचा

अमरोहा। गोपनीय तरीके से बृहस्पतिवार सुबह जालंधर पुलिस की एक टीम अमरोहा शहर पहुंची। भाजपा नेता के घर हमला करने वाले सैदुल अमीन के संपर्क में रहने वाले अदनान को तलाश किया। दोपहर में पुलिस ने बैंक जाकर सैदुल अमीन की मां के खाते का रिकॉर्ड खंगाले। इसके बाद टीम वापस लौट गई।

चर्चा है कि जालंधर पुलिस दो लोगों को साथ लेकर आई थी। उधर, सैदुल अमीन के रिश्तेदार, परिचित और लगातार फोन पर संपर्क में रहने वाले दोस्तों पर एटीएस की नजर है। उनकी संदिग्ध गतिविधियां जुटाई जा रही है। स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र ने घर पहुंच कर सैदुल की मां से कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई है।

अमरोहा शहर के मोहल्ला कटरा बख्तावर के रहने वाले सैदुल अमीन ने जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला किया था। इसके बाद बीते शुक्रवार को जालंधर पुलिस के इनपुट पर केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की टीमों ने सैदुल अमीन को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जालंधर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। फिलहाल सैदुल अमीन सात दिन की रिमांड पर जालंधर पुलिस के कब्जे में है। सोमवार को जालंधर पुलिस ने सैदुल अमीन की मां को बुलाया था और उनसे पूछताछ की थी। जबकि, उनकी मुलाकात सैदुल अमीन से भी कराई थी। इस दौरान जालंधर पुलिस ने सैदुल अमीन की मां की बैंक पासबुक आधार कार्ड अपने कब्जे में ले लिया था।

शाहबाद में व्यापारी बेदखल, 26 दुकानें सील

शाहबाद। 1982 में इंदिरा गांधी रोजगार योजना के तहत ब्लॉक कार्यालय से सटकर बनाई गईं 37 दुकानों में से 26 दुकानों को खाली कराकर बुधवार देर रात को सील कर दिया गया। दुकानों पर कब्जा लेते हुए विभाग ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं।

साथ ही समाज कल्याण विभाग ने इन दुकानों को अपने अधीन होने की बात भी लिखवा दी है। बची 11 दुकानों की जांच भी कराई जा सकती है। यह सभी 37 दुकानें समाज कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 1982 में इंदिरा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत बनवाई गई थीं। उसके बाद यह योजना वर्ष 1987 में बंद हो गई थी। विभाग को पता लगा कि इन 37 दुकानों में कुछ आवंटियों ने मोटी रकम लेकर दुकानों को बेच दिया है और कुछ ने इन दुकानों को किराये पर दे रखा था।

साथ ही बिना अनुमति के इन 37 दुकानों में से कुछ दुकानों के ऊपर रहने के लिए आवंटियों (दुकानदारों) ने मकान और जर्जर दुकानों को तोड़कर निर्माण करा लिया था। बिना अनुमति के दुकानों का स्वरूप बदलने के बाद नियमों की अनदेखी की गई। संवाद

कार्यालय उपजिलाधिकारी अमरोहा

प्रेस विज्ञप्ति

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.04.2025 को जनपद अमरोहा की तहसील अमरोहा के रजिस्ट्रार कार्यालय भूलेख अनुभाग, तहसील परिसर अमरोहा में प्रातः 10.00 बजे तहसील क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा में स्थित निम्न तालाबों/झील का मत्स्य पालन हेतु दस वर्षीय पटटा आवंन्टन/नीलामी शिविर नायब तहसीलदार कैलसा की अध्यक्षता में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2016 में दिये गये निर्देशो के क्रम में राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 76/1364/एक–1–2016–20(8)2016 के अनुसार आयोजित किया जायेगा।

आवंटन/नीलामी की शर्ते निम्नवत होगी–

1. संभावित आवंटियो की पात्रता सूची निम्नलिखित वरीयता कम के अनुसार तैयार की जायेगी।
(क) सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निवास करना वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति।
(ख) ग्राम पंचायत में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे का अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग अथवा सामान्य श्रेणी का व्यक्ति।
(ग) सम्बन्धित न्याय पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति।
(घ) सम्बन्धित विकास खण्ड में निवास करने वाला मछुआ समुदाय का व्यक्ति।
2. पात्रता सूची में पात्र व्यक्ति एक से अधिक है तब मौके पर ही नीलामी करायी जायेगी, जिसमें केवल पात्रता सूची में उल्लिखित व्यक्ति ही प्रतिभाग कर सकेंगे। यदि उपरोक्त पटटा के लिये केवल एक व्यक्ति पात्र, तो पटटा राज्यसरकार द्वारा समय पर नियत वार्षिक लगान की धनराशि रू0 5000.00प्रति हे0 प्रति वर्ष पर दिया जायेगा।
3. नीलामी की उच्चतम बोली छूटने पर नीलामी के प्रथम वर्ष की लगान की सम्पूर्ण धनराशि बोलीदाता को तत्काल जमा करनी होगी तथा जब उच्चतम बोली की धनराशि जमा कर दी गयी, पात्रता सूची नीलामी प्रपत्र और बोली की धनराशि को जमा करने सम्बन्धी आख्या, अध्यक्ष, सचिव, और उपनियम (3) में उल्लिखित राजस्व अधिकारी द्वारा सतुचित तरीके से हस्ताक्षरित करके अनुमोदन हेतु उपजिलाधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।
4. तालाबों का पटटा आवंटन, दस वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा तथा उसके अगे न तो नवीनीकरण किया जायेगा और न ही उसका समय बढाया जायेगा।
5. 5 एकड अथवा 2 हेक्टेयर से बडे तालाबों का आवंटन मछुवा समुदाय की सहकारी समितियां जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकत हो और मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त हो, को किया जायेगा।
6. आवंटी, आवंटित तालाब/झील को मत्स्य पालन, अन्य जलजात पदार्थ या हरी सब्जियों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ प्रयोगमें ला सकेगा।
7. आवंटी, आवंटित तालाब/झील को मत्स्य पालन,अन्य जलजात पदार्थ या हरी सब्जियों के उत्पादन के प्रयोजनार्थ प्रयोग में ला सकेगा।
8. नीलामी धनराशि नीलामी के उपरान्त तुरन्त 1/4 धनराशि जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी।
9. नीलामी को स्वीकत/अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी/उपजिलाधिकारी अमरोहा को होगा।

तहसील अमरोहा तालाब/झील आवंटन शिविर दिनांक 25.04.2025

कम संख्या	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	कम संख्या	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हे0 में
1	कालीलेट	619	0.206	13	कालीलेट	716	0.316
2	कुआ खेडा	21	0.535	14	कालीलेट	726	0.316
3	गजरौला प्रभूधन	100	0.304	15	कुआ खेडा	6	0.312
4	चांदनगर	476	0.393	16	तेलीपुरा माफी	203	0.295
5	चौधरपुर	347	0.206	17	पायती कलां	675	0.231
6	कमालपुर जैद	167घ	1.412	18	सलेमपुर नवादा	117	0.223
7	नन्हेडा अल्यारपुर	548	0.210	19	सहसपुर अलीनगर	128	0.287
8	पतेई खालसा	225	0.330	20	चुबका	389	1.032
9	पपसरा	226	0.332	21	हरियाना	137मि0	0.910
10	लम्बिया	20	0.368	22	हसनपुर कटिया	441	0.255
11	सलारपुर खालसा	226	0.206	23	दरियापुर	102	1.254
12	सिरसा खुमार	752क	0.283				

www.upgov.nic.in
Upid- 232526 Dt.16.04.2025

अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, सम्भल।

कोचिंग सेंटर में छात्रा से छेड़खानी

पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग निकला आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक

संवाद न्यूज एजेंसी

बिलारी (मुरादाबाद)। नगर के एक कोचिंग सेंटर में छात्रा के साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने पर आरोपी कोचिंग सेंटर संचालक शुभम ठाकुर ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ ही कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी कोचिंग संचालक और दो शिक्षक भाग गए।

बिलारी के मोहल्ला झंडा चौक निवासी शुभम ठाकुर नगर में ही मोहल्ला साहू कुंज में किराये पर एक मकान लेकर कोचिंग सेंटर चलाता है। मकान के भूतल पर लाइब्रेरी और ऊपरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर है। कुंदरकी क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की 21 वर्षीय युवती चार माह से कोचिंग सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार कर रही है।

बृहस्पतिवार की दोपहर छात्रा ने पुलिस को फोन कर बताया कि कोचिंग सेंटर संचालक शुभम ठाकुर ने उसके साथ छेड़खानी की है। सूचना मिलते ही एएसपी सोनाली मिश्रा और थाना प्रभारी अमरनाथ वर्मा कोचिंग सेंटर पहुंच गए। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही शुभम ठाकुर और दोनों शिक्षक कोचिंग सेंटर छोड़कर भाग गए।

पीड़ित छात्रा ने बताया कि बुधवार की दोपहर करीब 11 बजे क्लासरूम में शुभम ठाकुर ने उसके साथ छेड़खानी की। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान मारने और कोचिंग से निकालने की धमकी दी। इसके अलावा आरोपी ने छात्रा के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भी भेजे और जातिसूचक शब्द लिखकर उसे अपमानित भी किया। पुलिस ने छात्र-छात्राओं की मांग पर कोचिंग सेंटर को सील कर दिया।

पुलिस जांच के दौरान कोचिंग सेंटर के बाहर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान छात्रा ने अपने पिता को भी बुला लिया। इसके बाद वह थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

पांच दिन से छात्रा को परेशान कर रहा था आरोपी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिछले पांच दिन से आरोपी उसे परेशान कर रहा था। विरोध करने पर वह धमकी देता था। बुधवार को आरोपी ने उसे क्लासरूम में फिर से परेशान किया। किसी तरह पीड़िता अपनी जान बचाकर कोचिंग सेंटर से घर चली गई थी। पीड़िता ने इसकी जानकारी परिवार को दी। बृहस्पतिवार को फिर आरोपी ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो छात्रा ने फोन कर पुलिस बुला ली।

खाद्य विभाग का छापा नकली मावा बनाने का कारखाना पकड़ा

मुरादाबाद। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मैनाठेर क्षेत्र में संभल रोड मुकुटपुर एहरौला में छापा मारकर नकली मावा बनाने का कारखाना पकड़ा। मौके से 25 किग्रा मिल्क पाउडर, चार किलो वनस्पति घी बरामद किया। पूछताछ से पता चला कि मिल्क पाउडर और वनस्पति घी मिलाकर मावा तैयार किया जा रहा था।

सहायक आयुक्त खाद्य राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव को सूचना मिली कि मैनाठेर में नकली मावा तैयार कर आपूर्ति की जा रही है। सूचना के आधार पर मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने बृहस्पतिवार को छापा मारा। टीम ने ग्राम मुकुटपुर एहरोला से प्रीतम सिंह से मिलावटी मावा का नमूना लिया। मौके पर प्रीतम सिंह मिल्क पाउडर और वनस्पति घी मिलाकर मावा तैयार कर रहा था।

खाद्य लाइसेंस न होने के कारण मावा निर्माण पर रोक लगा दी गई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने संभल रोड बाईपास के निकट मोहम्मद कासिम निवासी ग्राम गुरेर मैनाठेर से मिश्रित दूध, हैदर अली निवासी ग्राम अहलादपुर से भी मिश्रित दूध बरामद कर दोनों का नमूना लिया। मनकुंआ मोड़ पर कालू निवासी ग्राम मुंडिया मलूकपुर से भी मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। ब्यूरो

लखनऊ स्टेशन पर ठेकेदार के गुर्गों ने रेलकर्मियों को पीटा

लखनऊ। चारबाग रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री पर बने रनिंग रूम में बृहस्पतिवार को रेलकर्मियों को रनिंग रूम के ठेकेदार के कर्मचारियों ने लाठी-डंडों से दौड़ाकर पीटा। रनिंग रूम में रुके मुरादाबाद के रेलकर्मी अपना राशन देकर कर्मचारियों से पसंद का खाना बनाने की मांग कर रहे थे, जिस पर झगड़ा हुआ। घटना में कई रेलकर्मी घायल हुए हैं।

नाराज रेलकर्मियों ने प्रदर्शन भी किया। मामले का वीडियो वायरल हुआ है। घटना की जानकारी पर उत्तर रेलवे के आला अफसर व नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन के शाखा मंत्री अवधेश पांडेय भी पहुंचे। उन्होंने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरपीएफ की तैनाती की भी मांग की है।

उनका दावा है कि ठेकेदार विजय सिंह ने माफी मांगी है। इसके अतिरिक्त सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि सीनियर डीईई आरएसओ संजीत कुमार सिंह और एडीआरएम सचिन वर्मा मौके पर गए थे। जिन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा जांच के आदेश दिए। ब्यूरो

पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक | pnb (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्कल सस्त्रा सेंटर : बुलंदशहर
सर्कल कार्यालय: बुलंदशहर पता: यमुनापुरम, बुलंदशहर, उ.प्र.-203001,
मो. 9794963666, फोन- 05732-281724, ई-मेल : cobsrsamd@pnb.co.in; CS8212@pnb.co.in

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 व 9 के तहत जन साधारण हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी हेतु जन सूचना।

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपतियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा जन साधारण एवं विशेषतः ऋणकर्ताओं व गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूतित ऋणदाता के पास रेहन रखी गई/प्रभारित निम्न उल्लेखित अचल संपति, जिसका निर्माणात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक कब्जा इस बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, इसे संबंधित ऋणकर्ताओं व गारंटरों से बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता की बकाया देय राशि की वसूली के लिए यहां निम्न उल्लेखित तालिका में उल्लेखितानुसार तिथि को **''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर''** बेचा जाऐगा। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा संबंधित संपतियों के प्रति निम्न तालिका में उल्लेखितानुसार है।

प्रत्याभूतित परिसंपतियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / एकाऊंट का नाम / ऋणकर्ता/गारंटरों खाता का नाम एवं पता	रेहन रखी गई अचल संपतियों का ब्यौरा/मालिक का नाम (संपत्तियों के रेहनकर्ता)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि / बी)------- को बकाया राशि / सी)सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि / डी) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/ निर्माणात्मक	ए) आरक्षित मूल्य राशि रू. में / बी) ईएमडी / सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	प्रत्याभूतित ऋणदाताओं को ज्ञात ऋणभार की जानकारी
1.	पीएनबी-सम्भल मेन **मैसर्स ए.आर कार्पोरेशन** (सहभागी) अंजार हुसैन पुत्र निशार अहमद एवं अंकुर पाठक पुत्र मिशरी लाल शर्मा	निशार अहमद पुत्र कल्लन मिस्त्री के नाम में दर्ज 654.50 वर्ग मीटर क्षेत्र माप का एसआरओ-सम्भल के साथ बही सं. 01, जिल्द सं. 1755, पेज सं. 156 से 158, क्रम सं. 4383 दिनांक 01.12.1980 में दर्ज मोहल्ला-अजीजपुर असदपुर (हयात नगर), तहसील व जिला-सम्भल उ.प्र. में स्थित सम्पति के सभी जरूरी भाग। सीमाएं इस प्रकार हैं :- पूर्व : बहजोई रोड, पश्चिम- हरीश का घर, उतर- सबकतुल्ला की भूमि, दक्षिण- जरीफ अहमद की सम्पति।	A) 25.05.2022 B) Rs. 29,32,249.09 + उस पर ब्याज C) 04.11.2022 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 1,40,27,000/- B) Rs. 14,02,700/- C) Rs. 10,000/-	**14.05.2025** पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 04:00 बजे	एनए
2.	पीएनबी-चंदौसी **श्रीमती इशरत बेगम पत्नी शमशेर खान** निवासी 160, मोहल्ला लक्ष्मण गंज, चंदौसी, संभल उतर प्रदेश-202412	इशरत बेगम पत्नी शमशेर खान के नाम में 41.80 वर्ग मीटर क्षेत्र माप का बही सं. 1 जिल्द सं. 8896, पेज सं. 349 से 364 क्रम सं. 15268 दिनांक 31.10.2018 में पंजीकृत वारिस नगर चंदौसी जिला सम्भल में स्थित सम्पत्ति के सभी जरूरी भाग। सीमाएं निम्न अनुसार हैं : पूर्व - कल्लो का घर, पश्चिमः रूखसाना का घर, उतर- रास्ता 10 चौड़ा, दक्षिण- देवीदास की भूमि। *** सम्पत्ति का विवरण टाईटल डीड के अनुसार है।	A) 30.07.2024 B) Rs. 5,66,280.87 + 01.07.2024 से ब्याज C) 29.11.2024 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 13,34,500/- B) Rs. 1,33,450/- C) Rs. 10,000/-	**30.05.2025** पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 04:00 बजे	एनए
3.	पीएनबी चंदौसी एमजी **छोटे लाल पुत्र तारा चन्द्र** निवासी हनुमानगढ़ी, चंदौसी सम्भल	वीरवती पत्नी छोटे लाल के नाम में 83.61 वर्ग मीटर कुल क्षेत्र, बही सं. 01, जिल्द सं. 2828, पेज-319 से 332, क्रम सं. 9952 दिनांक 15.11.2007 में मोह. हनुमान गढ़ी चंदौसी जिला सम्भल उ.प्र. में स्थित सम्पति का ईएम। **सीमाएं इस प्रकार हैं-** पूर्व - सड़क, पश्चिमः प्रेम शंकर का खेत, उतर- बिक्रता का प्लॉट, दक्षिण - कैलाश का प्लॉट।	A) 22.10.2018 B) Rs. 12,53,556.00 + 01.10.2018 से ब्याज C) 22.02.2019 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs. 12,23,000/- B) Rs. 1,22,300/- C) Rs. 10,000/-	**30.05.2025** पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 04:00 बजे	एनए

शर्तें व नियम
यह बिक्री प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्न अतिरिक्त शर्तों के तहत होगी :
1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर'' पर की जाएगी।
2. उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, परन्तु प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
3. बिक्री वेबसाईट https://ebkray.in पर उपलब्ध करवाए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा 14.05.2025 व 30.05.2025 पर पूर्वा. 11.00 बजे की जाऐगी।
4. बिक्री की विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया https://ebkray.in & www.pnbindia.in पर जाएं।

सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत संवैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक : 17.04.2025, स्थान : बुलंदशहर

प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्याभूतित ऋणदाता, पंजाब नैशनल बैंक, सर्कल सस्त्रा सेंटर, बुलंदशहर